न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील/33/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. लक्ष्मीकान्त
2. मनीष
3. रतनदेई वेवा रम्मो

पि0 रम्मों — जाति गौड ब्रा0 निवासी पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.05.1992 तहसीलदार रूपवास बाबत इन्तकाल नम्बर 686 वाकै ग्राम बांसी कैम्प पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 24.09.2019**

अपीलान्टान द्वारा यह अपील तहसीलदार रूपवास के आदेश इन्तकाल नम्बर 686 वाकै ग्राम पहाडपुर तहसील रूपवास दिनांक 21.05.1992 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रूपसिंह खातेदार लावल्द विला औरत फौत हो चुका है जो कि रम्मों के अन्य कायम मुकामान वारिसान अपील में है। रम्मों के तीन पुत्र रूपसिंह, लक्ष्मीकान्त एवं मनीष व वेवा रतनदेई है। मगर इन्तकाल दर्ज करते समय लायक अदालत तहत ने लक्ष्मीकान्त के स्थान पर वीनू व मनीष के स्थान पर मुनीष दर्ज कर दिया है जो कि विधि

विरूद्ध है जबकि अपीलान्ट का सही नाम वीनू के स्थान पर लक्ष्मीकान्त एवं मुनीष के स्थान पर मनीष दर्ज किया जाना आवश्यक है। गलत नामों के बाबत जानकारी अब तक अपीलान्ट को नही थी। प्रार्थीगण शान्ती पूर्वक काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा दिनांक 15.03.19 को जब पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने गये तो उन्होने बताया कि नाम गलत दर्ज हो रहा है सही कराओं तो उसी दिन नकल का प्रा0पत्र पेश किया व उसी दिनांक 15.03.19 को नकल प्राप्त की तथा पैसो का इन्तजाम किया एवं अपीलान्ट अनपढ एवं ग्रामीण है तथा रूपवास में जाकर वकीलों से सम्पर्क किया तो उन्होने भरतपुर जाकर अपील करने को कहां तो बिना किसी देरी के यह अपील होने जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण में नाम दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार (भू–अभिलेख) रूपवास से प्राप्त प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 21.05.92 शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 686 ग्राम पहाडपुर तहसील रूपवास जो कि अपीलान्टान के नाम विरासत का दर्ज किया गया है। तहसीलदार रूपवास ने पिता श्री रम्मों की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है जिसमें अपीलान्टान लक्ष्मीकान्त का नाम वीनू तथा मनीष का नाम मुनीष गलत दर्ज कर दिया है। दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने हमारा ध्यान लक्ष्मीकान्त के वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, कक्षा 6 की अंक तालिका की ओर आकर्षित किया। वकील अपीलान्टान ने दौराने बहस जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्टान लक्ष्मीकान्त एवं मनीष का घर का बोलता हुआ नाम क्रमशः वीनू एवं मुनीष दर्ज हो गया। वकील अपीलान्ट ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 686 में वीनू के स्थान पर लक्ष्मीकान्त एवं मुनीष के स्थान पर मनीष का नाम दर्ज कराया जाने/संशोधन कराये जाने हेतु तहसीलदार रूपवास को आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि यह जांच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार रूपवास को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 686 वाके ग्राम

पहाडपुर तहसील रूपवास दिनांक 21.05.92 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण मृतक रम्मो के विरासत का स्वीकार किया गया है जिसमें स्वर्गीय रम्मों के वारिस के रूप में रूपसिंह, वीनू, मुनीष को पुत्रान तथा रतनदेई पत्नी का दर्ज किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि स्वर्गीय रम्मों के वीनू व मुनीष नाम का कोई पुत्र नही है। वीनू व मुनीष का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि सही नाम क्रमशः लक्ष्मीकान्त व मनीष है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मीकान्त का वोटर पहचान पत्र, कक्षा 6 की अंक तालिका एवं राशन कार्ड की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा गलत नामों के सम्बन्ध में कारण नहीं बताया है। प्रकरण तहसीलदार रूपवास को मृतक रम्मो के सही वारिसान के नाम की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक रम्मों के विरासत के नामान्तरकरण में वीनू एवं मुनीष पुत्रों के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर